## @shahjahanpurpol

## प्रेस नोट थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर दिनांक 04.01.2023

## "विनष्टीकरण आबकारी अभियोगो से सम्बन्धित 7510 लीटर अवैध कच्ची/देशी शराब "

श्री एस आनन्द, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे समस्त थानो पर लिम्बत माल मुकदमाती मालो के निस्तारण के सम्बन्ध मे प्रचलित अभियान के क्रम मे श्री संजीव कुमार वाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एंव श्री बी एस वीर कुमार, क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण मे थाना तिलहर पुलिस द्वारा थाना तिलहर ने भारी मात्रा मे मालों का विनष्टीकरण किया गया।

इसी क्रम मे थाना तिलहर में पंजीकृत वर्ष 2016 के 03 माल, 2017 के 07 माल, 2018 के 06 माल, 2019 के 27 माल व 2020 के 100 माल व 2021 के 105 माल व 2022 के 355 माल कुल 603 आबकारी अधिनियम के अभियोगों में बरामद कुल 7510 ली0 नाजायज देशी/कच्ची शराब को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में टीम गठित कर विनिष्ट किये जाने हेतु आदेश पारित किये थे उक्त आदेश के अनुपालन में उक्त समस्त देशी शराब को श्री वी0एस0वी0 कुमार पुलिस उपाधीक्षक तिलहर, राज कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक तिलहर, आबकारी अधिकारी श्री प्रदीप दुबे व आबकारी निरीक्षक श्री गिरीजेश एवं एंव हे0मो0 423 धीर सिंह की देखरेख में आज दिनांक 03.01.2023 को वर्ष 2016 से 2022 कुल 603 आबकारी अधिनियम के अभियोगों में बरामद कुल 7510 ली0 नाजायज देशी/कच्ची शराब को थाना तिलहर परिसर में जे0सी0बी मशीन से गढ्ढा खुदवाकर विनिष्ट/नष्ट किया गया।

## मालो का निस्तारणः

- 1. वर्ष 2016-2022 तक कुल मालो की संख्या -603।
- 2. कुल विनिष्ट की गयी अवैध कच्ची/देशी शराब -7510 लीटर ।